रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28122020-223947
CG-DL-W-28122020-223947

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, दिसम्बर 13—दिसम्बर 19, 2020, शनिवार / अग्रहायण 22 — अग्रहायण 28, 1942
No. 40] NEW DELHI, DECEMBER 13-DECEMBER 19, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 22-AGRAHAYANA 28, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 192.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग (ज्येष्ठ सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी) भर्ती नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या किए जाने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में ज्येष्ठ सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, (ज्येष्ठ सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी) भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100 - 177500)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
11
I. प्रोन्नति: ऐसे विभागीय संपदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (47600-151100 रु.) की उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्ष की नियमित सेवा किए हों और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा विहित सुसंगत क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **II. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :- क. (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 8 (47600-151100 रु.) या इसके समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्षों की सेवा किए हों; और ख. जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :- (i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या उसके समतुल्य से सिविल या यांत्रिकी या वैद्युत या स्वच्छता या लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में डिप्लोमा; और (ii)कार्यालय भवन के अनुरक्षण और रख-रखाव, स्वच्छता प्रतिष्ठापन सहित, वातानुकूलन उपस्करों और विद्युत संस्थापन में पांच वर्षों का अनुभव । **टिप्पण-1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण-2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. सचिव या अपर सचिव (प्रशासनिक शाखा या समान्य शाखा का भारसाधक),संघ लोक सेवा आयोग –सदस्य 3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) या उप सचिव, संघ लोक सेवा आयोग –सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासनिक शाखा का भारसाधक),संघ लोक सेवा आयोग –सदस्य 3. संयुक्त सचिव (सामान्य का भारसाधक),संघ लोक सेवा आयोग –सदस्य	पदों को भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 39021 / 04 / 2018 – स्था. (ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCE AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 23rd November, 2020

G.S.R. 192.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission (Senior Estate Manager and Meeting Officer) Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Estate Manager and Meeting Officer in the Office of Union Public Service Commission, namely:-

1. **Short title and commencement.—(1)** These rules may be called the Union Public Service Commission (Senior Estate Manager and Meeting Officer) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—**The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Estate Manager and Meeting Officer	01* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 10 (56100-177500) in the pay matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**I. Promotion** The Departmental Estate Manager and Meeting Officer in level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix with two years of regular service in the grade and have successfully completed 2-4 weeks training in the relevant field as prescribed by the administrative ministry. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **II. Deputation (including short-term contract)** Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institute or public sector undertakings or statutory or autonomous organisation: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Diploma in Civil or Mechanical or Electrical or Sanitary or Public Health Engineering from a recognised University or equivalent; and (ii) five years' experience in the upkeep and maintenance of office buildings, including sanitary installations, air conditioning equipments and electrical installations. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Secretary or Additional Secretary (In-charge of Administration Branch or General Branch), Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary (Administration) or Deputy Secretary, Union Public Service Commission - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.
Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of: 1. Secretary, Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (In-charge of Administration Branch), Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary (In-charge of General), Union Public Service Commission) - Member;	

[F. No. 39021/04/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

सा.का.नि.193.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संघ लोक सेवा आयोग सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या किए जाने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सम्पदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (रु. 47600 - 151100)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
(11)
I प्रोन्नति ऐसे विभागीय सम्पदा पर्यवेक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (44900-142400 रु.) की उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्ष की नियमित सेवा किए हो और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा विहित सुसंगत क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । जिसके ना हो सकने पर ऐसे विभागीय अभिरक्षक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 6 (35400-112400) में उस श्रेणी में छह वर्षों की नियमित सेवा किये हो और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यथा विहित सुसंगत क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

II प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या संविधि या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 7 (44900-142400 रु.) या इसके समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्षों की सेवा किए हों; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या यांत्रिकी या वैद्युत या स्वच्छता या लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में डिप्लोमा; और

(ii) कार्यालय भवन के अनुरक्षण और रख-रखाव, स्वच्छता प्रतिष्ठापन सहित, और वातानुकूलन उपस्करों या विद्युत संस्थापन में तीन वर्षों का अनुभव ।

टिप्पण-1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव (प्रशासन का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग –अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (सामान्य शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	प्रतिनियुक्ति पर पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।)

[फा. सं. 39021 / 04 / 2018 – स्था. (ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd November, 2020

G.S.R. 193.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission Estate Manager and Meeting Officer Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Estate Manager and Meeting Officer in the Office of Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission Estate Manager and Meeting Officer, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Estate Manager and Meeting Officer	2* (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' , Gazetted, Non-Ministerial.	Level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation(including short-term contract)	**I. Promotion** The Departmental Estate Supervisor in level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with two years of regular service in the grade and have successfully completed 2-4 weeks training in the relevant field as prescribed by the administrative ministry. Failing which by The Departmental Caretaker in Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with six years of regular service in the grade and have successfully completed 2-4 weeks training in the relevant field as prescribed by the administrative ministry. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **II. Deputation (including short-term contract)** Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised research institute or public sector undertakings or statutory or autonomous organisation.

	(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Diploma in Civil or Mechanical or Electric or Sanitary or Public Health Engineering from a recognised University or Institute; and (ii) three years experience in the upkeep and maintenance of office buildings, including Sanitary installations and air conditioning equipment or electrical installations. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	13
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Additional Secretary (In charge of Administration), Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (In charge of Administration) Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary (In charge of General Branch) Union Public Service Commission - Member;	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on deputation (including short-term contract) basis.

[F. No. 39021/04/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 194.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (रखवाल) भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रखवाल के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, (रखवाल) भर्ती नियम, 2020 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रखवाल	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35400 - 112400) ।	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की गयी हो ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :- (1) स्वच्छता या लोक स्वास्थ्यकारिता में डिप्लोमा या विद्युत या सिविल इंजीनियरी या स्व्च्छता इंजीनियरी में डिप्लोमा; और (2) कार्यालय भवन के रख-रखाव में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 –** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण 2 –** अनुभव संबंधी अर्हता	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी । (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (29200-92300 रू.) में इस पद पर

(अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।			छह वर्ष की नियमित सेवा की हों; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षणिक अर्हताएं रखता हो ।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव (प्रशासन का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (सामान्य शाखा का भारसाधक), संघ लोक सेवा आयोग – सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 39021 / 04 / 2018 – स्था. (ख)]

राजबीर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd November, 2020

G.S.R. 194.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Caretaker in the Office of Union Public Service Commission, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Caretaker) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Caretaker	2* (2020) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 (Rs. 35400-112400) in pay matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years of age. (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential:- (1) Diploma in Sanitary or Public Hygiene or Diploma in Electrical or Civil Engineering or Sanitary Engineering; and (2) two years' experience in maintenance of office buildings. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or	Not applicable.

(ii) with six years regular service in posts in level-5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Secretary (In charge of Administration), Union Public Service Commission - Chairman; 2. Joint Secretary (In charge of Administration) Union Public Service Commission - Member; 3. Joint Secretary (In charge of General Branch) Union Public Service Commission -Member;	Not applicable

[F. No. 39021/04/2018-Estt.(B)]

RAJBIR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 195.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और जहाँ तक मलेरिया निरीक्षक पद से सम्बंधित है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (समूह 'ग' के पद) भर्ती नियमावली 1980 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.) में मलेरिया निरीक्षक उक्त पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांरभ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम मलेरिया निरीक्षक, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर **या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ** (2) **से स्तंभ** (4) **में विनिर्दिष्ट** है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मलेरिया निरीक्षक	06* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 5 (29200 - 92300/- रु0)	चयन	18 और 27 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य । **(ii)** सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्वच्छता या स्वास्थ्य निरीक्षक के पाठ्यक्रम में एक वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए । **वांछनीय:** **(i)** मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से मलेरियल शास्त्र या फिलेरियल शास्त्र में कम से कम छह माह का प्रशिक्षण । **(ii)** कंप्यूटर पर परिचालन का ज्ञान ।	नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स (25500-81100 रुपये) के स्तर 4 में प्रयोगशाला सहायक श्रेणी II द्वारा जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो जिन्होंने मलेरियल शास्त्र या फिलेरियल शास्त्र में कम से कम छह माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया हों जिसके ना हो सकने पर वेतन मैट्रिक्स (19900 - 63200 रु) के स्तर 2 में कीट अभिग्राहकों में से श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की हो और मलेरियल शास्त्र या फिलेरियल शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।	1. **विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:-** (i) संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम – अध्यक्ष ii) उपनिदेशक, स्वास्थय सेवाओं के महानिदेशालय/ दिल्ली / नई दिल्ली स्थित महानिदेशालय के किसी संस्थान से – सदस्य iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य **2. विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:-** (i) संयुक्त निदेशक//उपनिदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम - अध्यक्ष (ii) उपनिदेशक/ स्वास्थय सेवाओं के महानिदेशालय/ दिल्ली / नई दिल्ली स्थित महानिदेशालय के किसी संस्थान से – सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 1-42/2018-एनवीबीडीसीपी (प्रशा.I)]

बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th December, 2020

G.S.R. 195.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of National Malaria Eradication Programme, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as they relate to the post of Malaria Inspector**,** except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post of Malaria Inspector in the National Vector Borne Disease Control Programme, (NVBDCP), under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.—**

(i) These rules may be called the National Vector Borne Disease Control Programme, Malaria Inspector,(Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the Pay Matrix.—**The number of the said post, its classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time In this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Malaria Inspector	06* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Level- 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300)

Whether selection post or non-selection posts	Age - limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection	Between 18 and 27 years. (relaxable upto 40 years in case of departmental candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	**Essential** (i) 12th class or equivalent pass with Science from a recognized Board. (ii) Should have passed one year Sanitary or Health Inspector's Course from a Government recognised Institute. **Desirable:-** (i) At least six months training in Malariology or Filariology from a Government recognised institute. (ii) Operational Knowledge of Computer.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
No	Two years	By promotion failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or absorption, grades, from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By Promotion from Laboratory Assistant- Gr-II in the level 4 in Pay Matrix (Rs.25500-81100) with five years regular service who have passed six months training in Malariology or Filariology failing which from Insect Collectors in the level 2 of Pay matrix (Rs.19900-63200) with thirteen years regular service in the grade and have undergone training in Malariology or Filariology.	**1. Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-** (i) Joint Director/ Deputy Director, National Vector Borne Diseases Control Programme – Chairman ; (ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services /Any other institution of the Dte. Located in Delhi /New Delhi: – Member; (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme: - Member. **2. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (i) Joint Director/Deputy Director, National Vector Borne Diseases Control Programme - Chairman; (ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services /Any other institution of the Dte. Located in Delhi /New Delhi: – Member; (iii) Administrative Officer, National Vector Borne Disease Control Programme - Member.	Not applicable.

[F. No. 1-42/2018-NVBDCP (Admn.-I)]

BAIDYANATH PRASAD, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 196.—केंद्रीय सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 28 की उपधारा 2 के खंड (घ), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड (महाप्रबंधक) समूह 'क'भर्ती नियम, 2016 को, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है ब्रह्मपुत्र बोर्ड में महाप्रबंधक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ब्रह्मपुत्र बोर्ड (महाप्रबंधक)समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
महाप्रबंधक	1* (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स स्तर-14 (1,44,200– 2,18,200/-) रूपए	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय चयन/प्रोन्नति समिति है तो उसकी संचरना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	**12**	**13**
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या राज्य विद्दुत बोर्ड या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी संगठनो या स्वाशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 क(1,31,100 – 2,16,600/- रू) में ऐसे अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर या मुख्य इंजीनियर का पद धारण करते हुए उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii)जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13(1,23,100, - 2,15,900/- रू) में ऐसे उप मुख्य इंजीनियर का पद धारण करते हुए उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800, - 2,09,200/- रू) में ऐसे अधीक्षण इंजीनियर का पद धारण करते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात :- (i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और (ii) जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और साधारण प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 15 वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1**: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके	**चयन समिति (चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे।** i. सचिव,जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग – अध्यक्ष ii.अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड – सदस्य iii.सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग – सदस्य	लागू नहीं होता।

अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी-2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.60015/10/2019-ई.III]

एस.बी.पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 4th December, 2020

G.S.R. 196.— In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 28 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980) and in supersession of the Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board (General Manager) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2016, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of General Manager in the Brahmaputra Board, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board (General Manager), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of said post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications.—**The method of recruitments, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post :

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, Ex-service men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
General Manager	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A', Non-Ministerial.	Level-14 in the pay matrix (Rs.1,44,200 – 2,18,200/-)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If Departmental Promotion Committee/ Selection Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which consultation with Union Public Service Commission is necessary
(11)	(12)	(13)
Deputation (including-short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or state electricity boards or public sector undertakings or statutory organisations or autonomous bodies or universities or recognised research institutions: (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post of Additional Chief Engineer or Chief Engineer in level-13A (Rs.1,31,100 - 2,16,600/-) in pay matrix with two years' years regular service in the grade; or (iii) holding the post of Deputy Chief Engineer in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with three years' regular service in the grade; or (iv) holding the post of Superintending Engineer in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with eight years' regular service in the grade; and (B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and (ii) fifteen years experience in the	**Selection Committee (for considering selection) consisting of:-** (i) Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) - Chairman (ii) Chairman, Brahmaputra Board – Member, (iii) Member, Central Water Commission – Member.	Not applicable.

Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration. **Note 1.-** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2.-** The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.		

[F.No.A.60015/10/2019-E.III]

S.B. PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 197.—केन्द्रीय सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 29 की उपधारा 2 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ब्रह्मपुत्र बोर्ड [(मुख्य इंजीनियर (स्तर 1), मुख्य इंजीनियर (स्तर 2) और सचिव] समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2016, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है ब्रह्मपुत्र बोर्ड में मुख्य इंजीनियर (स्तर 1), मुख्य इंजीनियर (स्तर 2) और सचिव के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड [मुख्य इंजीनियर (स्तर 1), मुख्य इंजीनियर (स्तर 2) और सचिव] समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. मुख्य इंजीनियर (स्तर-1)	1* (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अननुसचिवीय।	वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-14 (1,44,200– 2,18,200/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षित अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संचरना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 क (1,31,100 - 2,16,600/-रु) मेंब्रह्मपुत्र बोर्ड के ऐसे मुख्य इंजीनियर (स्तर-2) या सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो। टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जायेगा परन्तु यह तब जब	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:** (i) सचिव या विशेष सचिव, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग- अध्यक्ष; (ii) सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग – सदस्य; और (iii) अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड -सदस्य।	लागू नहीं होता।

कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):-** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य विद्युत बोर्ड या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी संगठनों या स्वाशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13क (1,31,100 – 2,16,600/- रु.) में अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर या मुख्य इंजीनियर का पद धारण करते हुए उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13(1,23,100, - 2,15,900/- रु.) में उप मुख्य इंजीनियर का पद धारण करते हुए उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800, - 2,09,200/- रु.) में अधीक्षण इंजीनियर का पद धारण करते हुए उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; और (ii) जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और साधारण प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में पंद्रह वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,		

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होंगी। **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

1	2	3	4	5	6
2. मुख्य इंजीनियर(स्तर-2)	1* (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अननुसचिवीय।	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-13 क (1,31,100 – 2,16,600/-) रुपए	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति: (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (1,23,100 - 2,15,900/-रु.) में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के ऐसे उपमुख्य इंजीनियर जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) यदि कोई नियमित उपमुख्य इंजीनियर उपलब्ध नहीं है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800-2,09,200/-रु.) में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के ऐसे अधीक्षण इंजीनियर जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण** - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (i) सचिव या विशेष सचिव, जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष; (ii) सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग – सदस्य; और (iii) अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड -सदस्य।	लागू नहीं होता।

सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकर या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या राज्य विद्युत बोर्ड या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी संगठनों या स्वाशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (1,23,100 -2,15,900/-रु.) में पद धारण करते हुए उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800-2,09,200/- रु.) में पद धारण करते हुए उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री; और (ii) जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और साधारण प्रशासन में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में बारह वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत		

अल्पकालिक संविदा भी हो) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होंगी। **टिप्पण 3**:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

1	2	3	4	5	6
3. सचिव	1* (2020) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-13क (1,31,100–2,16,600/- रूपए)	चयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा।

11	12	13
प्रोन्नति: (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (1,23,100 - 2,15,900/- रु.) में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के ऐसे उप मुख्य इंजीनियर जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (ii) यदि कोई नियमित उपमुख्य इंजीनियर उपलब्ध नहीं है, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800-2,09,200/- रु.) में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के ऐसे अधीक्षण इंजीनियर जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण-** जहां ऐसे कनिष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ	**विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या चयन पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** (i) सचिव या विशेष सचिव, जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष; (ii) सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग – सदस्य; और (iii) अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड -सदस्य	लागू नहीं होता।

व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या राज्य विद्युत बोर्ड या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी संगठनों या स्वाशासी निकायों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (1,23,100 -2,15,900/-रु.) में पद धारण करते हुए उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800-2,09,200/-रु.) में पद धारण करते हुए उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य; और (ii) जल संसाधन परियोजनाओं या प्रबंधन और साधारण प्रशासन में विशेषज्ञता के साथ सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में बारह वर्ष का अनुभव, या (ख) (i) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13(1,23,100 -2,15,900/- रु.) में केंद्रीय सरकार या राज्यसरकार में अखिल भारतीय सेवा अधिकारी का पद धारण करते हुए दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78,800-2,09,200/-रु.) में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में अखिल भारतीय सेवा अधिकारी का पद धारण करते हुए छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रशासन में बारह वर्ष का अनुभव हो **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है,		

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रति नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होंगी। **टिप्पण 3**:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हो) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.60015/10/2019-ई. III]

एस.बी.पाण्डेय,अवर सचिव

New Delhi, the 4th December, 2020

G.S.R. 197.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980) and in supersession of the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board (Chief Engineer (Level-I), Chief Engineer (Level-II) and Secretary, Group 'A' Posts Recruitment Regulations, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Chief Engineer (Level – I), Chief Engineer (Level-II) and Secretary in the Brahmaputra Board, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These regulations may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board [Chief Engineer (Level – I), Chief Engineer (Level-II) and Secretary], Group 'A' Posts Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, Ex-service men and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chief Engineer (Level-I)	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-ministerial.	Level-14 in the pay matrix (Rs.1,44,200–2,18,200/-).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which consultation with Union Public Service Commission is necessary.
(11)	(12)	(13)
Promotion: From amongst the Chief Engineer (Level-II) or Secretary of Brahmaputra Board in level-13A (Rs.1,31,100 - 2,16,600/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade. **Note.** – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including-short term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or State Electricity Boards or Public Sector Undertakings or Statutory organisations or Autonomous bodies or Universities or Recognised research institutions: (A)(i) holding analogous post on	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:** (i) Secretary or Special Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Chairman; (ii) Member, Central Water Commission- Member; and (iii) Chairman, Brahmaputra Board – Member.	Not applicable.

regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post of Additional Chief Engineer or Chief Engineer in level-13A (Rs.1,31,100 - 2,16,600/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or (iii) holding the post of Deputy Chief Engineer in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with three years' regular service in the grade; or (iv) holding the post of Superintending Engineer in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with eight years' regular service in the grade; and (B) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and (ii) fifteen years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 .-** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3.-** The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Chief Engineer (Level-II).	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-ministerial.	Level-13A in the pay matrix(Rs.1,31,100 - 2,16,600).	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Deputy Chief Engineer of Brahmaputra Board in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or (ii) in case no regular Deputy Chief Engineer available, Superintending Engineers of Brahmaputra Board in level-12 (Rs.78,800– 2,09,200/-) in pay matrix with six years regular service in the grade. **Note.** – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract):** Officers of the Central Government or State Government or Union territory administrations or state electricity boards or public sector undertakings or statutory organisations or autonomous bodies or universities or recognised research institutions: (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years regular service in the grade; or (iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years regular service in the grade; and (B) possessing the following educational qualifications and experience- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University; and (ii) twelve years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion or selection) consisting of:** (i) Secretary or Special Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Chairman; (ii) Member, Central Water Commission - Member; and (iii) Chairman, Brahmaputra Board - Member.	Not applicable.

consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 .-** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3.-** The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Secretary	1* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'A', Non-ministerial	Level-13A in the pay matrix (Rs.1,31,100 - 2,16,600/-)	Selection	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion failing which by deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Promotion: (i) Deputy Chief Engineer of Brahmaputra Board in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or (ii) in case no regular Deputy Chief Engineer available, Superintending Engineers of Brahmaputra Board in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years regular service in the grade. **Note.** – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have completed such qualifying or eligibility service.	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion or selection) consisting of:** (i) Secretary or Special Secretary, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation) – Chairman; (ii) Member, Central Water Commission- Member; and (iii) Chairman, Brahmaputra Board - Member.	Not applicable.

Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or State Electricity Boards or Public Sector Undertakings or Statutory organisations or Autonomous bodies or Universities or Recognised research institutions: (A) (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in the grade; or (iii) holding the post in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in the grade; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent ; and (ii) twelve years experience in the Civil Engineering works with specialisation in the field of Water Resources Projects or Management and General Administration, or (B) (i) All India Service officers holding the post in level-13 (Rs.1,23,100 – 2,15,900/-) in pay matrix with two years' regular service in Central Government or State Governments and having twelve years' experience in Administration; or (ii) All India Service officers holding the post in level-12 (Rs.78,800 – 2,09,200/-) in pay matrix with six years' regular service in Central Government or State Governments and having twelve years' experience in Administration. **Note 1**.- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including Short-term contract) basis. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2** .- The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation		

(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3.-** The maximum age for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.		

[F. No.A.60015/10/2019-E.III]

S. B. PANDEY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.28 09:10:18 +05'30'